[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 12/2025 - एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितंबर, 2025

सा.का.नि......(अ).- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्‌द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) की अनुसूची IV" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "अधिसूचना सं. 9/2025-एकीकृत कर (दर) की अनुसूची II या अनुसूची III " प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190341/188/2025-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)

भारत सरकार के अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 9/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना सं. 04/2025-एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 61(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।